न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 92 / 2020 अपील (GCMS 2020/00096)
पंजीयन दिनांक– 23.01.2020
निर्णय दिनांक– 29.11.2022

1. श्री हकरा पिता श्री धुला मीणा, निवासी केवड़ा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती रामुड़ी पत्नि बदाजी भील (पुत्री श्री वेणाजी भील), निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, हाल निवासी 706, झाड़ोल रोड़, नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री रमेश पिता श्री मोहन भील, निवासी ज्योति नगर, तहसील गिर्वा, हाल निवासी बलीचा, हनुमान फलां, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती अमरी बाई पत्नि चेना भील, निवासी ज्योति नगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्री हीरा पिता श्री मोहन भील, जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती रूपी बाई बेवा मोहन भील, निवासी केवड़ा, तहसील सराड़ा, हाल निवासी बलीचा, हनुमान फलां, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. दीपिका पुत्री श्री मोहन भील, निवासी केवड़ा, तहसील सराड़ा, हाल निवासी बलीचा, हनुमान फलां, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. श्री नारायण पिता श्री होमा मीणा, निवासी केवड़ा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर

7. सुन्दर पुत्री श्री वेणा भील, निवासी बलीचा, हनुमान फलां, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हुकमसिंह देवड़ा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–8

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के

प्रकरण संख्या 11/2017 निर्णय दिनांक 04.12.2019

निर्णय

दिनांक 29.11.2022

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 11/2017 निर्णय दिनांक 04.12.2019 के विरूद्ध दिनांक 23.01.2020 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थनग आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई है।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम बलीचा पटवार मण्डल गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा में रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी की कृषि भूमि जिसके हाल आराजी संख्या 1487 से 1493 एवं 1508 कुल किता 8 रकबा 0.8650 हैक्टेयर स्थित होकर रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी का 1/3 हिस्सा है उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी के पिता वेणा पिता गुमाना की थी जो राजस्व रेकार्ड में भी खातेदार दर्ज थी। वेणा पिता गुमाना भील की मृत्यु होने पर विरासत से

खोले गये नामांतरकरण में उनके एक मात्र पुत्र मोहन का ही नाम दर्ज किया गया, जबकि वेणा पिता गुमाना के दो पुत्रियां जिसमें रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी व रेस्पोडेंट संख्या 7 सुन्दर का नाम दर्ज नही किया गया। ग्राम पंचायत बलीचा ने उक्त नामांतरकरण तस्दीक करते समय विरासत का गलत सजरा प्रमाणित किया तथा रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी व रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम अन्य रेस्पोडेंट से मिलीभगत कर दर्ज नहीं किया, वेणा पिता गुमाना के वारिसान मोहन पुत्र, रामुडी पुत्री, सुन्दर पुत्री, सवलीबाई बेवा वेणा थे, वेणा पिता गुमाना तथा उसका पुत्र मोहन पिता वेणा भी फौत होना जाहिर कर वेणा पिता गुमाना के वारिसों की सही जांच नही कर सीधे मोहन पिता वेणा नाम दर्ज कर उसके वारिसान रमेश, दूर्गा, हीरा, दीपिका, रूपाबाई, सवलीबाई बेवा वेणा, के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 11/2017 निर्णय दिनांक 04.12.2019 से रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 ग्राम पंचायत बलीचा निरस्त किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.12.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात् पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन किये जाने के बाद न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामांतकरण फैसल करते समय स्व. वेणा पिता गुमाना भील के विधिक वारिसानों की सही जांच नही कर मात्र वेणा के पुत्र के नाम ही भूमि का नामांतरकरण दर्ज कर फैसल कर दिया गया, जो न्यायोचित नही है। स्व. वेणा पिता गुमाना भील के प्रथम श्रेणी के सभी वैध वारिसानों की नियमानुसार जांच कर सभी वैध वारिसानों के नाम नामांतरकरण दर्ज होकर फैसल होना चाहिये था जो अधीनस्थ*

न्यायालय द्वारा नही किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय नामांतरकण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 ग्राम पंचायत बलीचा का राजस्व ग्राम बलीचा पटवार मण्डल गोवर्धन विलास का निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. वेणा पिता गुमाना के वैध वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज कर फैसल करें।"

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह देवड़ा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 21.11.2022 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के सिद्धांतो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अत्यधिक जल्दबाजी में पारित किया गया है। नामांतरकरण संख्या 702 दिनांक 05.05.2006 को खोला गया जिसके विरूद्ध अपील अत्यधिक देरी से वर्ष 2006 से 2007 में यानि करीब 10 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत की गई तथा इस संबंध में धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इसे स्वीकार करने बाबत कोई अंकन अपने निर्णय में नही किया गया है। दिनांक 04.12.2019 को उक्त अपील में अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के नियमों की पूर्ण अनदेखी करते हुए अत्यधिक

जल्दबाजी में आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के 2/5 हक एवं हिस्से यानि 0.2160 हैक्टेयर भूमि को सद्भाविक रूप से रेस्पोडेंट संख्या 5 एवं श्रीमती रूपाबाई से 10,00,000/– अक्षरे रूपये दस लाख में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 07.08.2011 को क्रय किया गया। इसी अनुसार अपीलांट उक्त आराजीयात की भूमि में अपने हक एवं हिस्से की भूमि पर काबिज है। उक्त आराजीयात की भूमि में अपीलांट का हक एवं हिस्सा होने से उसे बिना सुने निर्णय पारित किया जाना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 को उक्त भूमि के हक एवं हिस्सें का खातेदार घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से अपीलांट के हक प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में वर्णित ग्राम बलीचा, पटवार मण्डल गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा में रेस्पोडेंट संख्या–1 की कृषि भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 1487 से 1493 एवं 1508 किता 8 कुल रकबा 0.8650 हैक्टैयर स्थित है। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या–1 का 1/3 हिस्सा था उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 के पिता वेणा पिता गुमाना भील की थी जो राजस्व रेकार्ड में भी खातेदार दर्ज थी। वेणा पिता गुमाना की मृत्यु के उपरांत खोला नामांतरकरण सही नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 04.12.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 04.12.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर अपील अंदर मयाद प्रस्तुत की गई है।

- प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. मय राजकीय दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई। आवेदन के साथ पेश दस्तावेज राजकीय/प्रमाणित प्रतियां तथा प्रकरण से प्रासंगिक होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बलीचा, राजस्व ग्राम बलीचा पटवार मण्डल गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा द्वारा नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 पारित किया, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के यहां प्रथम अपील संख्या 11/2017 प्रस्तुत की जिससे उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.12.2019 से रेस्पोडेंट संख्या–1 रामुडी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 को निरस्त किया जाकर प्ररकण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 04.12.2019 से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.01.2020 को प्रस्तुत की है।

- प्रकरण में समायत बहस पर मनन करने के पश्चात् पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन किये जाने के बाद न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, बलीचा द्वारा राजस्व ग्राम बलीचा पटवार मण्डल के नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 को निर्णित करते समय स्व. वेणा पिता गुमाना भील के विधिक वारिसानों की

सही जांच नही कर मात्र वेणा के पुत्र के नाम ही भूमि का नामांतरकरण दर्ज कर फैसल कर दिया, जबकि स्व. वेणा पिता गुमाना भील के प्रथम श्रेणी के सभी वैध वारिसानों की नियमानुसार जांच कर नामांतरकरण दर्ज होना चाहिए था, जो अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया। इस प्रकार उक्त नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 स्व. वेणा पिता गुमाना भील के विधिक वारिसानों की सही जांच नही कर मात्र वेणा के पुत्र के नाम ही भूमि का नामांतरकरण दर्ज कर फैसल कर दिया गया, जो न्यायोचित नही है।

- प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.12.2019 से पारित निर्णय में विवादित नामांतरकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 ग्राम पंचायत बलीचा के राजस्व ग्राम बलीचा, पटवार मण्डल गोवर्धन विलास को निरस्त किया जाकर प्ररकण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया उसमें हम कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर